



K
राजस्थानी
आदेश अधिकार

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(3)नविवि/ा/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 121 NOV 2022

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत श्री रामजस पूनियां, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर विकास न्यास, बीकानेर को अपने पद के साथ-साथ नगर विकास न्यास, बीकानेर की चित्रण शाखा में ड्राफ्टमैन के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेशों तक सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्वारा प्रसारित किये जाते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
5. श्री रामजस पूनियां, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
6. रक्षित / निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय